

राजस्थान सरकार
राजस्व पर्यावरण विभाग
क्रमांक एफ 118/पर्यावरण/8.6

दिनांक 5 अक्टूबर 1985

अधिसूचना

वतः राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न उपबन्ध में परिनिश्चित क्षेत्र का उसमें पाये जाने वाले वन जीवों के संरक्षण प्रचारण एवं उनके विकास पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके परिस्थिति प्राणी जातीय वनस्पति भू-संरक्षण तथा प्राणी विज्ञान संबंधी सहयोजना और महत्व के कारण वन जीव अभ्यारण के रूप में गठित करने की आवश्यकता है।

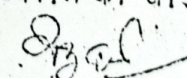
अतः वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53 की धारा 18 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि को अभ्यारण घोषित करने के अपने आशय की घोषणा करती है, जिसे भविष्य में "बाँध बारेठा" के नाम से जाना जाएगा, अर्थात्,

अनुसूचि

क्र. सं. क्षेत्र	नाम तहसील	जिला	सीमाएँ	वि० वि०
1. वन्य जीव अभ्यारण बाँध बारेठा	बयाना	भरतपुर	उत्तर	वन उप नहरोलो खेरी डांग, सूबासीला एवम् ब्रह्मी पहाड़पुर वनखण्ड सीमाएँ।
			पूर्व	वनखण्ड सूबासीला, पहाड़ दरवाहना कोट एवं जामन की वनखण्ड सीमा।
			दक्षिण	वनखण्ड राजना की वनखण्ड सीमा।
			पश्चिम	वनखण्ड नहरोलो, शाहपुर, दरवाहना एवं वाजना की वनखण्ड सीमाएँ।

नोट:-
उक्त क्षेत्र में पूरा नाका बारेठा शामिल किया गया है इन सीमाओं के बीच पड़ने वाला राजस्व क्षेत्र अभ्यारण में शामिल

राज्यपाल की आज्ञा से,


एस० के० वर्मा
उप सचिव
पर्यावरण विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ ए' आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजस्थान, जयपुर को असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
2. मुख्य वन्य संरक्षक, राज. जयपुर ।
3. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज. जयपुर ।
4. निदेशक, पुलिस विभाग राजस्थान जयपुर अधिकृत पुलिस विभाग भरतपुर
5. जिलाधीश भरतपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 49 से 26 के अनुसार कार्यवाही कर इस विभाग को अधिकृत अकात करावे ।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त सचिव आगुक्त राज, जयपुर ।
2. सचिव राज्यपाल राजस्थान, जयपुर
3. सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर
4. समस्त निजि सचिव मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
5. निजि सचिव मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर ।
6. सचिव राजस्थान विधानसभा जयपुर ।
7. राजस्तर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर ।
8. समस्त सदस्य राजस्थान वन्य जीव प्रतिपालक राज. जयपुर ।
10. सचिव भारत सरकार पर्यावरण विभाग वन्य जीव सम्भाग कृषि भवन नई दिल्ली ।

[Signature]

उप शासन सचिव